

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8
संख्या- 234 / आठ-8-24-01विविध/90
लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-51 की उपधारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम के उपबन्धों, सपठित अनुदेश संख्या-14 तथा 15 उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश, 1982 के अनुसरण में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1359/आठ-8-2023-01 विविध/90, दिनांक 29.09.2023 को संशोधित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में तैनात अधिकारियों के मध्य पुनरीक्षण कार्य अंतिम आदेश पारित करने सहित निस्तारित किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	विकास प्राधिकरण का नाम
1	श्री रणवीर प्रसाद, सचिव	मुरादाबाद, प्रयागराज, बस्ती, उरई, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण व समस्त विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
2	श्री उदय भानु त्रिपाठी, विशेष सचिव	लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, हापुड़-पिलखुआ, मुजफ्फरनगर व झांसी विकास प्राधिकरण।
3	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव,	बुलन्दशहर-खुर्जा, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, उन्नाव-शुक्लागंज व रायबरेली विकास प्राधिकरण।
4	श्री महेन्द्र प्रसाद भारती, विशेष सचिव	सहारनपुर, मथुरा-वृन्दावन, कानपुर, आगरा, मेरठ व बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण।
5	श्री राकेश कुमार मिश्र, विशेष सचिव	वाराणसी, गाजियाबाद, अयोध्या, रामपुर, मिर्जापुर-विंध्याचल व बांदा विकास प्राधिकरण।


उपरोक्तानुसार आवंटित पुनरीक्षण कार्य बटवारा तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री उदय भानु त्रिपाठी) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री मनोज कुमार) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री महेन्द्र प्रसाद भारती) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री राकेश कुमार मिश्र) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र एवं अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(किशलय सिंह)
अनु सचिव